राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 70 / 2024

रफीक मोहम्मद —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (के.एण्ड जे.), जयपुर डिस्कॉम, कोटा।
3. उप निदेशक, कार्मिक (के.एण्ड जेएड.), जयपुर डिस्कॉम, कोटा।
4. मुख्य कार्मिक कार्याकल, जयपुर, विद्युत वितरण निगम, लि. जयपुर।
5. कार्मिक अधिकारी (तकनीकी संस्थानपन), जयपुर, विद्युत वितरण निमग, लि. जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 29.02.2024
आदेश की दिनांक : 06.03.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश विश्नोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.05.0215 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति तकनीकी सहायक के पद पर कार्यालय, सहायक अभियंता, रामगंजमंडी, कोटा में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में तकनीकी—ाा के पद पर सहायक अभियंता (ओ. एण्ड एम.), रामगंजमंडी, कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थानपन स्थान से कार्यालय, सहायक अभियंता (ए—ाा), गंगापुर सिटी में 250 दूर बिना की प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है और उसकी वष्ठिता जिला स्तर तक ही रहती है और दूसरे जिले मे स्थानान्तरण करने से उसकी वरिष्ठता एवं सर्विस केरियर विपरीत रूप से प्रभावित होगा। उसके बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले से बाहर किया गया है। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 3441 / 2021 प्रदीप

कुमार बनाम रास्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2022 (अनुलग्नक–4) एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 15944/2022 रघुवीर सिंह बनाम प्रबंध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.10.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त अपीलों के समान है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावें।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड–1975 के स्कील तकनीकी सहायक के नियम–3 में यह प्रावधान है कि तकनीकी सहायक ए एण्ड बी की वरिष्ठता का संधारण संबंधित डिविजन लेवल पर संधारित की जाती है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी का स्थानान्तरण संबंधित डिविजन के क्षेत्र में ही किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होतह है कि कि अपीलार्थी वर्तमान में तकनीकी–II के पद पर सहायक अभियंता (ओ.एण्ड एम.), रामगंजमंडी, कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थानपन स्थान से कार्यालय, सहायक अभियंता (ए–II), गंगापुर सिटी में प्रशासनिक आवश्यकता से राज्यहित में किया गया। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को सेवाएं प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया हैः–

> **"*In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights.*"**

6. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 250 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> **"*So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involves any violation of service Rule.*"**

7. लिहाजा अपीलार्थी के स्थानान्तरण में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

8. आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य